उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-180/2017/1892/92-2-2017-79जॉच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 13 सितम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मेरठ में वर्ष 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलरूवरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351-ए के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-180/2017/1892(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र संख्या-जी-39/एस0टी0-सी0टी0ई0/2704-134-140-149/07 2015-16 दिनांक 12.07.2017 की प्रति इस आशय से प्रेषित आशय से प्रेषित कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड -मेरठ के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ ।
3- श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता (सम्प्रति सेवानिवृत्त ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in